कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, कासगंज।

विज्ञप्ति संख्या /व्यवस्थापन/2020–21 दिनांक 25.01.2020

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2020–21 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या 11/2020/155ई–2/तेरह–2020–01/2020 दिनांक 24.01.2020 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–26444/दस–लाइसेंस–367/आबकारी नीति/2020–21 दिनांक 25.01.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद कासगंज में वर्ष 2020–21 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 28.01.2020 से प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम वर्ष 2019–20 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिए अर्ह पायी गयी दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 28.01.2020 (पूर्वान्ह 11.00 बजे) से दिनांक 03.02.2020 (पूर्वान्ह 11.00 बजे) तक ई–लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते है। ऑनलाइन नवीनीकरण के पश्चात जनपद की अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन ई–लाटरी के माध्यम से तीन चरणों में दिनांक 18.02.2020, 12.03.2020 एवं 24.03.2020से किया जायेगा।

जनपद में मदिरा एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई–लॉटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्ते जनपद की बेवसाइट www.kasganj.nic.in, विभागीय वेबसाइट www.oldupexcise.in तथा ई–लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर देखी जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी
कासगंज

25.1.2020
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,
कासगंज।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, कासगंज।

संख्या /उपरोक्तानुसार/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – 1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, (एन0आई0सी0),कासगंज को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति को जनपद की बेवसाइट www.kasganj.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

2. विज्ञापन प्रबन्धक, दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान, जनपद कासगंज को उपरोक्त विज्ञापन अपने सम्मानित समाचार पत्र में शासकीय दर पर (साइज 13 से0मी0 X 13से0मी0 (लगभग) के बाक्स में प्रकाशित कराकर बिल जिला सूचनाधिकारी, कासगंज से सत्यापित कराकर दो प्रतियों में भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

25/01/2020
जिला आबकारी अधिकारी,
कासगंज।

Scanned by CamScanner